

लक्ष्मी फरखते है। बुकलयन आज
कार्य प्रगति कर दिया है अतः पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 26-6-20


24-20

वकील न. प्राप्ति करिदिगा व
रा. र. पहाड़ी ज. र. 15.7.20
दिनांक



15.7.20

वकीलतापत उ. र. र. पहाड़ी की
रुकीये गयी है। उ. र. पहाड़ी की
पहाड़ी र. 15.7.20 दिनांक



मे. र.
26/08/20
मे. र.

31/08/20

पत्रावली पेश हुई। शायला मय वकील
उपस्थित/शुना गया/ बुकी शायला द्वारा
मूल दावा विद्धो कर लिया है। प्राथमिक पत्र
भारहीन होने के कारण खारिज किया
जाता है। पूर्व में जारी 11 खारिज की
जाती है। पत्रावली काखिल 6 फर है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)